तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27-10-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अवकाश पर है ~~राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है।~~ ~~अन्य कार्य में व्यस्त~~ है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 7-12-21 को पेश हो।
7-12-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। ~~अन्य कार्य में व्यस्त है।~~ अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 25-1-22 को पेश हो।
25-1-22	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित वास्ते बहस वकील प्रार्थीयान ने समय चाहा गया वास्ते बहस आइंदा पत्रावली दिनांक 27-1-22 को पेश हो।
27-1-22	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पर सुनी गई संक्षेप में निर्णय निम्नानुसार है। कि वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 3330 रकबा 0.01 है. गै.मु. चाह खसरा सं. 3331 रकबा 6.68 हैक्टर किता-2 योग रकबा 6.69 हैक्टर कृषि भूमि वाके ग्राम लाखेरी में स्थित है। उक्त वाद वर्णित आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त में चली आ रही है वाद वर्णित आराजी राज्य सरकार द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज शकूर बख्श चाढ़खां को लीज पर काश्त करने के लिए दी गई थी जिसको लगभग 60 वर्ष हो गये है तब से आज तक प्रार्थीगण के पूर्वज तत्पश्चात प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किन्तु भू-प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अभाव में प्रार्थीगण के पूर्वज शकुर के साथ गफूर, अकुल व शमशु पिसरान चांदखां का नाम गैरखातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया जबकि अप्रार्थीगण का वाद वर्णित भूमि पर आज तक कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण के पूर्वजों का नाम भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा गैर कानूनी तरीके से दर्ज किया गया। पूर्वजों का देहान्त होने के पश्चात अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है जब कि अप्रार्थीगण का वाद वर्णित आराजी पर कोई हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में अंकित होने से ताकत के बल लाभ उठाने की मंशा रखते हैं और भूमि को बेचान करने पर आमादा है। दौराने वाद अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल कर दिया अथवा भूमि का रहन बेचान कर दिया गया तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थीगण की काश्तकारी करने व्यवधान रहन बेचान नहीं करे। प्रतिवादी संख्या 4 व 8 एवं प्रतिवादी 9 लगायत 10 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दौराने बहस कथन किया कि मृतक चांदखां के के चार पुत्र हैं जिनके वारिसान राजस्व रिकार्ड में अंकित हैं। उसी अनुरूप कब्जा काश्त की व्यवस्था कर रखी है। जवाबदाता अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की खाते भूमि को पूर्ण रूप से रहन क्रय दान हस्तान्तरण करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण ने झूठे तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 एवं 11 के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दौराने बहस कथन किया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त चरणों को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई एतराज नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]री (बूंदी)

→ PTO-3

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हमारे द्वारा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरे R.L.W 2015 (2) पेज नं. 1090, RLW 2002 राज. पेज 185, RRD 2016 पेज 580, RLW 2014 (1) राज पेज 76, RLW 2015 (2) पेज 1169, RLW 2006 (2) पेज 1127, RLW 2006 (2) पेज 1170 का ससम्मान अध्ययन किया गया। हम इस ~~विचार~~ निष्कर्ष पर पहुंचते है कि विवादित आराजी बाबत पक्षकारान के मध्य मूल वाद विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित है। मूलवाद के विचाराधीन रहते यदि विवादित आराजी को किसी पक्षकार द्वारा आगे विक्रय कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य अनावश्यक रूप से विवाद बढेगा तथा वाद बाहुल्यता बढेगी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूर्व न्यायिक दृष्टान्त RLW 2015 (2) पेज 1090 इस प्रकरण पर चस्पा होती है। अतः उभयपक्ष प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी खसरा नम्बर 3330 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.-चाह खसरा नम्बर 3331 रकबा 6.68 हैक्टर वाके ग्राम भारवेरी तहसील इन्द्रगढ जिला-बून्दी की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)